

**FORM 'A 2'**  
**ACKNOWLEDGEMENT**  
{See Clause 8(3)}



Letter No- २० को० / जैव अनु० - 18/10 /Agri., Patna, Dated ,2019

Received from M/s Shivashakti Bio Technologies Ltd. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 & Rs. 150 & Rs. 150 by Treasury Challan bearing number 48 & 50 & 49 Dated 25-01-2019 & deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), till 15-01-2022 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-  
Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 9(R)(Bio)

Date.....

**DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS**

| Name and style by which the business is carried on               | Location of sale depot                                                     | Location of godowns attached to sale depot                                                                                                                                                                                                                                | Type of Fertilizer                                             | Source of Supply  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                              | 5                 |
| M/s Shivashakti Bio Technologies Ltd.<br>Style- Wholesale Dealer | Soraj Tower, D. No- 401, 4 <sup>th</sup> floor, Jamal Road, Patna Bihar- 1 | 1-Plot No- 474, Side of N.H.- 83, Vill- Chihut, Po- Suitha. Dist- Patna.<br>2-C/o Smt. Geeta Devi W/o Late Shaligram Prasad Singh, Plot NO- 8, Khata No- 1, Vill- Manikapur, Po+Ps- Saraiya Factory, Dt- Muzaffarpur.<br>3-Plot No- 1960, K. Nagar. Basaha, Purnia, Bihar | 1-Azotobacter<br>2-Azospirillum<br>3-Rhizobium<br>4-Mycorrhiza | Self Manufactured |

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

**Mr. M. Suresh Babu, (Associated Vice President)**

M/s Shivashakti Bio Technologies Ltd.

S/o Anjaiah Timmanapalem (P)

Addanki Mandal, Prakasam (Dist), Hyderabad.

Sd/-  
Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना  
उर्वरक कोषांग

पत्र संख्या— उ0को0/जैव अनु0— - 18/10

/कृ0, पटना, दिनांक

2019

कार्यालय आदेश।

मे0 शिवशक्ति बायो टेक्नॉलाजीज लि0 के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या—9(R)(Bio) दिनांक 06.08.2018 वैधता तिथि 16.01.2019 को दिनांक 15.01.2022 तक के लिए नवीकृत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 267

दिनांक : 18/04/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरकों का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।